न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 76/2020
आरसीएमएस नं0 2020/00076
अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

निहाल सिंह पुत्र नानुराम जाति जाट साकिन निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
–अपीलाण्ट

बनाम

कृष्ण कुमार पुत्र निहाल सिंह जाति जाट साकिन निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.03.2020 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा
प्रकरण संख्या 37/2018 बअनवानी कृष्ण कुमार बनाम निहाल सिह

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक:– 8.6.2022

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि रोही मौजा चक 12 एएमएस की कुल 52 किला रकबा 12.7130 है0 भूमि, नहरी 12.1580, गै0 मु0 रास्ता 0.3280, गै0 मु0 खाला 0.2270 है0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 निहाल सिंह का 1/4 हिस्सा है। यह भूमि संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति है जिसमें सायल का जन्म से हक निहित है। गैरसायल सं0 1 सायल का पिता है। प्रतिवादी सं0 3 ता 7 ने उक्त भूमि में अपना समस्त हिस्सा तर्क कर दिया है। सायल कृष्ण कुमार का 7/64 हिस्सा व गैरसायल नं0 2 प्रदीप कुमार का 7/64 व प्रतिवादी संख्या 1 निहाल सिंह का 1/32 हिस्सा [illegible] काश्तकार घोषित कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

तद्नुसार रिकार्ड को दुरूस्त करवाने एवं सायल के पिता गैर सायल नं. 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में कलमजन कर सायल कृष्ण कुमार 7/64 हिस्सा व गैरसायल नं0 2 प्रदीप कुमार का 7/64 व प्रतिवादी सं0 1 निहाल सिंह का 1/32 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करने का अधिकारी है। गैरसायल भूमि का हस्तान्तरित करना चाहता है यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो गया तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। गैरसायल ने जवाब दख्वास्त पेश किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा गैरसायल को 1/4 हिस्सा नहरी भूमि के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नियम विरूद्ध एवं विधि की अवहेलना करते हुए पारित किया गया है। अपीलाण्ट रिकाडेर्ड खातेदार कातश्कार है वृद्ध व्यक्ति है जो बीमार है। अस्थाई निषेधाज्ञा से वृद्ध सायल को परेशानी होती है तथा स्टे से सोसायटी के रूपये रूके हुए हैं। कोई के.सी.सी. भी नहीं बन रही है तथा इलाज के लिए पैसे नहीं है तथा सिर पर कर्जा है। समस्त जमीन में सायल रेस्पोडेण्ट का हिस्सा छोड़कर टी.आई. निरस्त की जावे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दूओं को विचारण न्यायालय ने नहीं देखा है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। धारा 212 आरटीएक्ट का प्रयोजन भूमि का किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण से बचाना भी है जब परिवार के सदस्यों के बीच वाद विचाराधीन हो तो एक खातेदार को भूमि हस्तान्तरण नहीं करने हेतु उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। एक संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि के बंटवारे में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती तो बंटवारे का यह प्रकरण कभी भी अंतिम रूप से निर्णित नहीं हो पायेगा तथा पक्षकारों के बीच अनावश्कय रूप से विवाद एवं न्यायिक कार्यवाहीयों की संख्या बढ़ेगी। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:03 IST
Reason: SelfAttested

मकें 2002 आरआरडी पेज 744, 2013 आरबीजे पेज 216, 2011–12 आरआरटी पेज 463 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने चक 12 एएमएस के खाता सं0 73/91 की कुली 12.7130 है0 नहरी खातेदारी भूमि में 1/4 हिस्सा कृषि भूमि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया था। विचारण न्यायालय ने प्रश्गनत भूमि के 1/4 हिस्सा पर स्थगन आदेश जारी किया है जबकि प्रतिवादी निहाल सिंह के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में रेस्पोडेण्ट ने अपना 7/64 हिस्सा होना बताया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट के पक्ष में उसके हिस्से से अधिक भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है। अपीलाण्ट एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है उस उसे समस्त हिस्से के उपयोग उपभोग से वंचित किया जाना उचित नहीं है। रेस्पोडेण्ट ने प्रश्नगत भूमि में 7/64 हिस्सा अपने प्रार्थना–पत्र में बताया है, विचारण न्यायालय को उतने हिस्से तक ही स्थगन आदेश पारित करना चाहिए था। अतः अपील स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन निर्णय को रेस्पोडेण्ट के 7/64 हिस्से की हद स्थगन आदेश यथावत रखे जाने योग्य है एवं शेष भूमि से स्थगन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एव उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए अपीलांट निहाल सिंह के नाम दर्ज चक 12 एएमएस के खाता सं0 73/91 की कुल 12.7130 है0 नहरी खातेदारी भूमि में रेस्पोडेण्ट के 7/64 हिस्से की हद स्थगन आदेश यथावत रखा जाता है एवं शेष भूमि को स्थगन आदेश से मुक्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.6.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

8/6/22

(करतार सिंह पूनिया आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:03 IST
Reason: SelfAttested